

फेडर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई

3 दिसंबर, 2007

[अशोक भान और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; धारा 2 (च)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985; शुल्क शीर्षक 84.14:

उत्पाद शुल्क की चोरी-विनिर्माण प्रक्रिया-विनिर्माण निर्धारिती द्वारा निर्मित संघनन इकाइयों से विभाजित एयर कंडीशनर और बाजार से खरीदी गई शीतलन इकाइयाँ-उत्पाद शुल्क का शुल्क -पाइप किट आदि के साथ जुड़ने के बाद शीतलन इकाइयाँ और संघनन इकाइयाँ।

वातानुकूलन इकाई के रूप में कार्य -जो व्यावसायिक रूप से एक नई वस्तु है, विभाजित वातानुकूलन इसकी घटक इकाइयों से अलग है, इस प्रकार शुल्क शीर्षक 84.15 के तहत वर्गीकृत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम -आर.2(ए) आकर्षित नहीं करती। -निर्वचन के नियम - आर.2(ए)।

शब्द और वाक्यांश:

'उत्पादन' का अर्थ।

इन अपीलों में निर्धारण के लिए प्रश्न इस प्रकार था-क्या संघनन से विभाजित वातानुकूलन का निर्माण निर्धारिती द्वारा अपने कारखाने और शीतलन इकाई में निर्मित इकाई स्थानीय कारखाने से खरीदी गई हवा के निर्माण के बराबर होती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के तहत कंडीशनर एक नया लेख है, जिसे शुल्क शीर्षक 84.15 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1 निर्धारिती की ओर से किए गए निवेदन में कोई सार नहीं है कि उत्पाद के नाम, चरित्र और उपयोग में कोई बदलाव नहीं हुआ है या कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित नहीं किया गया है, शीतलन इकाई या संघनन इकाईयां स्वयं कार्य नहीं कर सकती हैं। एयर कंडीशनर पूर्ण एयर कंडीशनर इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें पाईप किट, विद्युत कार्ड और रिमोट कंट्रोल आदि के साथ जोड़ना पड़ता है, यह प्रक्रिया निर्धारिती के कारखाने अथवा गोदाम में की गई थी। (पैरा 9)

1.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में शब्दकोश के अनुसार "निर्माण" शब्द की एक समावेशी परिभाषा दी गई है, शब्द "निर्माण" का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप उस प्रक्रिया के अधीन वस्तुओं में थोड़ा बदलाव या परिवर्तन होता है।

व्यावसायिक रूप से नई वस्तु के उत्पादन के लिए अग्रणी विनिर्माण। निर्माता क्या बनाते हैं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तत्काल मामले में, अपीलकर्ता द्वारा अपने कारखाने में संघनक इकाइयों का निर्माण किया गया था और शीतलन इकाइयों को स्थानीय बाजार से खरीदा गया था, जिसके लिए विद्युत मोटरों की आपूर्ति निर्धारिती द्वारा की गई थी न तो संघनक इकोई ओर न ही शीतलन इकोई अपने आप में पूर्ण एयर कंडीशनर है। जब इन दो इकाइयों को एक साथ रखा गया तभी उपयोग के लिए उपयुक्त एयर कंडीशनर की पूरी इकोई अस्तित्व में आई। कंडेंसिंग यूनिट या कूलिंग यूनिट की तुलना में एयर कंडीशनर व्यावसायिक रूप से एक नया उत्पाद है। इस प्रकार, निर्धारिती का यह तर्क कि उनकी बॉम्बे शाखा में कोई निर्माता नहीं है, गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (पैरा 11 ओर 12)

1.3 निर्वचन के नियमों के नियम 2(ए) की प्रयोज्यता पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं है और मामले को उस नियम के संदर्भ के बिना तय किया जा सकता है। निर्धारिती की बॉम्बे शाखा से एयर कंडीशनर की पूरी इकाइयों को साफ करने का मुद्दा स्पष्ट था। निर्धारिती के स्वयं के कर्मचारियों ओर नए गोल्ड एयर कंडीशनर के साझेदारों के बयान, जिन्होंने कूलिंग इकाइयों की आपूर्ति की थी ओर निर्धारिती द्वारा उठाए गए चालान। इसलिए, नीचे दिए गए प्राधिकारियों ने सही माना कि निर्धारिती

वास्तव में स्प्लिट एयर कंडीशनर का निर्माण कर रहा था। (पैरा 13 ओर 14)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील संख्या 8066-8068/2001

अंतिम आदेश संख्या 242-244/2001 - बी। दिनांक 01.05.2001 सर्वोच्च न्यायालय सीमा शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण, नई दिल्ली, अपील संख्या ई/761- 763/98 बी.

आलोक यादव ओर मोनिश पाण्डा (एम.पी. देवनाथ के लिए) अपीलार्थी

टी.वी. रत्नम (बी.कृष्ण प्रसाद के लिए) उत्तरदाता

न्यायालय ने निर्णय दिया-

भान, जे. 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35 एल(बी) के तहत वर्तमान अपील निर्धारिती द्वारा आक्षेपित अंतिम आदेश संख्या के खिलाफ दायर की गई है। 242-244/2001-बी दिनांक 1 मई, 2001 को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ओर स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित अपील संख्या ई/761-763/98-बी में, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को गुण-दोष ओर सीमा के आधार पर खारिज करना।

2. अधिकरण के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के टैरिफ शीर्षक 84.15 के तहत वर्गीकृत स्प्लिट एयर कंडीशनर का निर्माण कर रहा था।

3. अपीलकर्ता, फेडर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कालकाजी, नई दिल्ली में अपनी इकोई से मुंबई तक संघनन इकाइयों को मंजूरी दे दी, जहां अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मोटरों आदि के साथ ऑर्डर पर निर्मित स्थानीय निर्माताओं से कूलिंग इकाइयां खरीदीं। गैस भरकर गुणवत्ता के लिए कुछ परीक्षण करने के बाद, ब्रांड नाम 'फेडर्स लॉयड' चिपकाकर, पूरी यूनिट को पाइप किट, इलेक्ट्रिकल कांड, रिमोट कंट्रोल इत्यादि के साथ मुंबई में उनके गोदाम/गोदाम से विभिन्न ग्राहकों को भेज दिया गया। स्प्लिट एयर-कंडीशनर की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ता को मुंबई कार्यालय द्वारा चालान जारी किए गए थे।

4. अपीलकर्ता को 3 अप्रैल, 1996 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 412 नग अक्टूबर 1991 से अप्रैल 1996 की अवधि के दौरान अपीलकर्ता द्वारा स्प्लिट एयर कंडीशनरों को शुल्क का भुगतान किए बिना गुप्त रूप से हटा दिया गया था, जिसमें 56,14,293/-रुपये की केन्द्रीय उत्पादशुल्क की चोरी शामिल थी। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता स्प्लिट एयर कंडीशनर का निर्माण कर रहा था।

5. कारण बताओ नोटिस में उठाई गई मांग की मूल आदेश में पुष्टि की गई थी। अधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। उसी से व्यथित होकर वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं।

6. दोनों पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना गया है।

7. अभिलेख से पता चलता है कि जांच के दौरान, न्यू गोल्ड एयर कंडीशनर्स के पार्टनर श्री शिवशंकर उपाध्याय, जिन्होंने अपीलकर्ता की मुंबई शाखा को कूलिंग यूनिट की आपूर्ति की थी, के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने पुष्टि की थी कि उन्होंने एक घोषणा दायर की थी। उत्पादशुल्क अधिकारियों ने कहा कि वे एयर कंडीशनर की शीट मेटल बाडी का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कूलिंग इकाइयों के साथ लगाए जाने वाले इलेक्ट्रिक मोटरों की आपूर्ति अपीलकर्ता द्वारा की गई थी। अपीलकर्ता के वाणिज्यिक प्रबंधक श्री आरपी गुप्ता का बयान भी दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपीलकर्ता ने स्थानीय निर्माताओं को कूलिंग इकाइ के साथ लगाए जाने वाले विद्युत मोटरों की आपूर्ति की थी ताकि गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। ये कूलिंग इकाइयां उन्हें कुंजुरमार्ग स्थित उनके गोदाम में प्राप्त हुईं जहां से विभिन्न ग्राहकों को स्प्लिट एयर कंडीशनर की पूरी इकाइयां आपूर्ति की गईं। स्प्लिट एयर कंडीशनर की पूरी इकाइयों को नई दिल्ली से प्राप्त संघनक इकाइयों और अन्य सहयोगियों के साथ स्थानीय स्तर पर खरीदी गईं शीतलन इकाइयों

को एक साथ रखने के बाद वितरित किया गया था और उनका चालान मुंबई प्रशासनिक कार्यालय से बनाया गया था। श्री केए भाटिया, एयर सर्को प्रूवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर, लिमिटेड जिसका बयान भी दर्ज किया गया था, ने कहा कि आवश्यक सामान के साथ सभी प्रकार से पूर्ण एयर कंडीशनर प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा एयर सर्को ईवेट लिमिटेड को आपूर्ति की गई थी। लिमिटेड, जो अपीलकर्ता की सहयोगी कंपनी है और मुंबई में एयर कंडीशनर की स्थापना और सर्विसिंग का काम करती है। श्री के. विजयन का वक्तव्य, अपीलकर्ता के वाणिज्यिक कार्यकारी को भी दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ कहा था कि वह मेसर्स के परिसर में स्थित देवीदयाल कंपाउंड, कंजुमार्ग में अपीलकर्ता के तैयार स्टोर की देखभाल कर रहे थे। एयर सर्को प्रा. लिमिटेड और उनका नाम नई दिल्ली और न्यू गोल्ड एयर कंडीशनर जैसे स्थानीय निर्माताओं से गोदाम में प्राप्त तैयार माल के स्टॉक की देखभाल करना और प्रासंगिक रिकार्ड बनाए रखना था। उन्होंने आगे कहा कि कंजुमार्ग गोदाम में, स्प्लिट एयर कंडीशनर की डिलीवरी से पहले, गैस के रिसाव के लिए कुछ जांच करने के लिए कंडेनसर में गैस भरी जाती है।

8. एस/श्री शिवशंकर उपाध्याय, आरपी गुप्ता, केए भाटिया और के. विजयन के बयानों से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की मुंबई शाखा को भागों के रूप में उचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर नई दिल्ली में उनकी विनिर्माण इकाई से मंजूरी प्राप्त संघनक इकाइयां प्राप्त हुईं। मुंबई

में स्थानीय स्तर पर निर्मित एयर कंडीशनर ओर खरीदी गई कूलिंग इकाइयां। उनके कार्यशाला सह गोदाम में, गैस भरकर गुणवत्ता के लिए कुछ जांच की गई ओर ब्रांड नाम 'फेडर्स लॉयड' को शीतलन इकाइयों पर चिपका दिया गया ओर उसके बाद, इन इकाइयों को पाइप किट, विद्युत कॉड, रिमोट कंट्रोल के साथ साफ कर दिया गया, आदि विभिन्न ग्राहकों के लिए ओर इसे अपीलकर्ता की सहयोगी संस्था मैसर्स द्वारा स्थापित किया गया था। एयर सर्को प्रा. लिपमिटेड, अपीलकर्ता की ओर से स्प्लिट एयर कंडीशनर की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ता के मुंबई कार्यालय द्वारा चालान जारी किया गया था। ऐसे स्प्लिट एयर कंडीशनर पर कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें मुंबई से गुजरात ओर गोवा में उनके विभिन्न ग्राहकों को आपूर्ति की गई थी। इन व्यक्तियों के बयानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता की कंजुमार्ग कार्यशाला में एक पूर्ण विभाजित एयर कंडीशनर अस्तित्व में आया।

9. हमें अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों में कोई तथ्य नहीं मिला कि उत्पाद के नाम, चरित्र ओर उपयोग में कोई बदलाव या कच्चे माल का तैयार उत्पाद में परिवर्तन अस्तित्व में नहीं आया। शीतलन इकाइयां या संघनक इकाइयां स्वयं एयर कंडीशनर इकोई के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें पाइप किट, विद्युत कॉड ओर रिमोट कंट्रोल आदि के साथ जोड़ना पड़ता है। यह प्रक्रिया कंजुमार्ग में अपीलकर्ता के कारखाने अथवा गोदाम में की गई थी।

10. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2(च) 'निर्माता' को इस प्रकार परिभाषित करती है:

'(च) "विनिर्माण" में कोई भी प्रक्रिया शामिल है-

(i) निर्मित उत्पाद के पूरा होने के लिए आकस्मिक या सहायक; और

(ii) जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) अनुसूची 5 के अनुभाग या अध्याय में किसी भी सामान के संबंध में विनिर्माण की मात्रा के रूप में निर्दिष्ट है"

11. खंड (च) "निर्माण" शब्द की एक समावेशी परिभाषा देता है। शब्दकोष के अनुसार, "निर्माण" शब्द का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप माल में परिवर्तन या परिवर्तन होता है जो विनिर्माण की प्रक्रिया के अधीन होता है जिससे व्यावसायिक रूप से नए लेख का उत्पादन होता है। विनिर्माण किससे बनता है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। जैसा कि पहले देखा गया था, संघनक इकाइयों का निर्माण अपीलकर्ता द्वारा नई दिल्ली में अपने कारखाने में किया गया था और शीतलन इकाइयों को स्थानीय बाजार से खरीदा गया था, जिसके लिए विद्युत मोटरों की आपूर्ति अपीलकर्ता द्वारा की गई थी। न तो संघनक इकोई ओर न ही शीतलन इकोई अपने आप में पूर्ण एयर कंडीशनर हैं ऐसा तभी होता है जब ये दोनों, यानी संघनक इकोई ओर शीतलन इकाइयों को एक साथ रखा गया, उपयोग के लिए उपयुक्त एयर कंडीशनर की पूरी

इकोई कंजुमार्ग कार्यशाला में अस्तित्व में आई। संघनक इकोई या शीतलन इकोई की तुलना में एयर कंडीशनर व्यावसायिक रूप से एक नया उत्पाद है।

12. उपर बताए गए कारणों से, अपीलकर्ता का यह तर्क कि उनकी बॉम्बे यूनिट में कोई निर्माण नहीं होता है, गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. अधिकरण ने अपने आदेश में व्याख्या के नियमों के नियम 2(अ) पर भरोसा किया है। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उक्त नियम लागू नहीं हैं हमारे विचार में, नियम 2(अ) की प्रयोज्यता का संदर्भ आवश्यक नहीं है और उस नियम के संदर्भ के बिना मामले का निर्णय लिया जा सकता है। अपीलकर्ता की बॉम्बे शाखा से एयर कंडीशनर की पूरी इकाइयों को मंजूरी देने का मुद्दा अपीलकर्ता के स्वयं के कर्मचारियों और न्यू गोल्ड एयर कंडीशनर के भागीदारों के बयानों से स्पष्ट था जिन्होंने कूलिंग इकाइयों की आपूर्ति की थी और अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए चालान से स्पष्ट था।

14. उपरोक्त कारणों से, हमारे पास नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता वास्तव में स्प्लिट एयर कंडीशनर का निर्माण कर रहा था, जैसा कि कारण बताओ नोटिस में कहा गया है।

15. तदनुसार, लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सरिता कायथ** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।